[2021] 8 एस. सी. आर

सुमन चड्ढा और ए. एन. आर.

बनाम्

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 28592)

09 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971: एसएस। 2(बी), 19-न्यायालय की अवमानना-न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन -

तथ्यों के अनुसार, बैंक ने याचिकाकर्ताओं को उनके उपक्रम के जानबूझकर उल्लंघन के लिए दंडित करने के लिए धाराओं 10 और 12 में एक याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि स्थगन के सशर्त आदेश को सुरक्षित करने की दृष्टि से किए गए उपक्रम का उल्लंघन अवमानना के बराबर नहीं हो सकता है, खासकर जब ऐसे उपक्रम के उल्लंघन के परिणाम न्यायालय के आदेश में ही लिखा गया हो। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी ठहराया और जुर्माने के साथ तीन महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई। खंड पीठ ने अपील पर उक्त आदेश को बरकरार रखा, अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायालय को दिया गया उपक्रम का जानबूझकर उल्लंघन धारा 2(बी) के तहत न्यायालय की अवमानना के समान। -हॉलाकि, न्यायालय को यह देखना होगा कि किए गए उपक्रम की प्रकृति क्या है; यदि कोई लाभ है, तो वचन देने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त किया गया है और क्या वचन पत्र दाखिल करना न्यायालय में धोखाधड़ी करने या विरोधी पक्ष को गुमराह करने की उद्धेश्य से किया गया था- दिए गए वचन के बाद याचिकाकर्ता द्वारा किये गए कृत्यों

की श्रृंखला याचिकाकर्ता द्वारा, उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाने के लिए आश्वस्त किया कि दिया गया वचन सद्भावना पर आधारित नहीं था, बल्कि न्यायालय को गुमराह करने का इरादा था। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ताओं ने उनके खिलाफ संतुलन झुका दिया है। इस प्रकार, एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया। हालाँकि , सजा की अवधि को तीन महीने से घटाकर तीन महीने कर दी है, याचिकाकर्ता द्वारा पूर्व में ही करावास भुगता जा चुका है।

न्यायालय ने एस. एल. पी. को अर्भिनिर्धारित करते हुए मानाः

1.1 पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दिनांक 08.04.15 के वचन के साथ दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा शपथ पत्र लिया गया। दाखिल किए गए उपक्रम के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उसी दिन, अर्थात् 08.04.2015 को रिट याचिका में एक आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय के आदेश के हिस्से के अंश से पता चलता है कि यह किसी शपथ पत्र के आधार पर पारित आदेश नहीं था, यह याचिकाकर्ताओं द्वारा पेशकश के आधार पर था, जिनमें से पहला वास्तव में अदालत में मौजूद था। इस प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए आदेश वास्तव में पार्टियों की सहमति पर आधारित था। [पैरा 13-15] [379-GH; 380-G-H]

1.2 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय को दिए गए शपथपत्र का जानबूझकर उल्लंघन न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत न्यायालय की अवमानना के बराबर है। लेकिन न्यायालय ने हमेशा (I) शपथपत्र की प्रकृति को देखा है; (ii) शपथपत्र देने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ , यदि कोई हो; और (iii)क्या शपथपत्र दायर करना अदालत में धोखाधड़ी करने या विरोधी पक्ष की ऑखों में धूल झोंकने के इरादे से किया गया था। [पैरा 16] [381-डी-ई]

1.3 यह सच है कि किसी पक्ष द्वारा दिए गए शपथपत्र को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें इसे बनाया गया था और (i) शपथपत्र देने वाली पार्टी को जो लाभ हुए; और (ii) विरोधी पक्ष को हुए नुकसान/क्षति। यह भी सच है कि आम तौर पर यह सवाल कि क्या कोई पक्ष अवमानना का दोषी है, अवज्ञा और उसकी जानबूझकर की गई प्रकृति के विशिष्ट संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके बाद के आचरण के आधार पर। हालॉकि न्यायालय यह देखने के लिए स्वतंत्र है कि क्या कथित अवमाननाकर्ता का बाद का आचरण पहले से की गई अवमानना को बढ़ाने के समान होगा , लेकिन अवमानना के कृत्य का निर्धारण केवल उसके बाद के आचरण एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाल सकता है, वह यह कि क्या यह प्रतिबद्धता का सम्मान करने मं पार्टी की असमर्थता थी या यह न्यायालय को चकमा देने की एक बडी साजिश का हिस्सा था। [पैरा 25-26] [384 ए-डी]

1.4 दिनांक 08.04.2015 के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं के आचरण से ऐसा लगता है कि संतुलन याचिकाकर्ता के खिलाफ झुक गया है । 08.04.2015 के बाद हुई सभी घटनाओं ने उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की थी। यह कि क्यों एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने याचिकाकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया। [पैरा 19,24] [382-एफ; 383-जी-एच; 384-ए]

1.5 तत्काल मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्यों की श्रृंखला (i) याचिकाकर्ताओं ने पोस्ट-डेटेड चेक जारी करने में, जिन पर तारीख उस तारीख से आगे की थी, जिसके भीतर वे भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे; (ii) उन चेकों का अनादर करने की अनुमति देने में; (iii) सुनवाई की पहली तारीख को एक ऐसे बहाने के साथ अदालत के समक्ष पेश नहीं होना जो गलत पाया गया हो ; (iv) अपने स्वयं के देनदारों द्वारा चूक करने के बारे में स्पष्टीकरण देने में; और (v) एस. एफ. आई. ओ. की

रिपोर्ट के माध्यम से उजागर होने पर, उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 08.04.2015 को दिया गया शपथपत्र सद्भावना पर आधारित नही था, बल्कि न्यायालय को धोखा ेने का इरादा था । इसलिए उच्च् न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी मानने में कोई गलती नहीं है । [पैरा 19,27] [384 – डी-एफ]

1.6 यह निवेदन कि रोक का सशर्त आदेश प्राप्त करते समय की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफलता को जानबूझकर अवज्ञा के रूप में नहीं माना जा सकता था , स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन इस तथ्य के लिए कि याचिकाकर्ताओं ने कथित रूप से पोस्ट-डेट चेक जारी किए, लेकिन उन्हें उनादरित होने दिया। चेक के अनादर के लिए बताई गई कहानी झूठी पाई गई, याचिकाकर्ताओं के लिए यह निवेदन करने के लिए खुला नहीं है कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी। [पैरा 28] [384-जी-एच]

1.7 अधिनियम की धारा 13 (ए) की भाषा पर आधारित प्रस्तुतिकरण 08.04.2015 के बाद जो हआ उसके आलोक में अपील नही करता है । तथ्य यह है कि दिनांक 08.04.2015 के आदेश में पालन करने के लिए कुछ अन्य परिणामों का भी संकेत दिया गया है जो न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार को नही छीन सकता है । उपयुक्त मामलों में जहां एक पक्ष ने शपथपत्र देते समय सद्भावना से काम किया था, लेकिन उचित और वास्तविक कारणों के कारण वचन का सम्मान नहीं कर सका, न्यायालय निश्चित रूप से अपनी छड़ी को चलाने से रोक सक ती है। लेकिन इस मामले में इस आश्य के तथ्य सामने आये हैं कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक कार्य नही किया। इसलिए, प्रस्तुतिकरण भी अस्थिर है। [पैरा 29] [385-ए-सी]

1.8 निवेदन यह है कि यदि दिनांक 08.04.2015 का आदेश एक से अधिक व्याख्या और समझने में सक्षम है, तो उससे उत्पन्न् होने वाले परिणामों के बारे में, पक्ष को एक विशेष तरीके से उक्त आदेश को समझने और व्याख्या करने की अनुमति दी जानी

चाहिए, कानून के शुद्ध और सरल प्रस्ताव के रूप में पूरी तरह से सही है। लेकिन मौजूदा मामले में, याचिकाकर्ताओं ने जो कुछ भी किया है, उसे छिपाने के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निवेदन यह था कि अवज्ञा, यदि कोई हो, जानबूझकर नहीं की गई थी, जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। [पैरा 30] [385-सी-डी]

1.9 उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता अवमानना के दोषी हैं , अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है । यह विवादित नहीं है कि गिरवी रखी गई संपत्तियां अब बेची जा चुकी हैं और असाधारण प्रयासों के साथ, बैंक ने भी कब्जा कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए तीन महीने के कारावास की कुल अवधि में से 11 दिन हिरासत में भी बिताए हैं। ऐसी परिस्थितियों में , याचिकाकर्ताओं के लिए यह पर्याप्त सजा है। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश और खंड पीठ के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा गया कि याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना के दोषी हैं, लेकिन सजा की अवधि तीन महीने से घटाकर याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही भुगते गए कारावास की अवधि तक कम कर दिया गया । [पैरा 31,33,34] [385-ई; 385-एफ-एच; 386-ए]

नारायण सिंह बनाम् लाला राजेंद्र लाल और अन्य। **(1976) एस.सी.सी. ऑनलाइन सभी 425;** इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम् ललित कुमार अग्रवाल और अन्य। **(2000) एससीसी ऑनलाइन डेल 710;** के. श्रवण कुमार बनाम् शीला और अन्य। **2008(3) सीटीसी 669;** राष्ट्रीय कृषि कॉ. बाजार बनाम् रिलायंस पॉलीक्रिट लिमिटेड **(2009) 163 डी. एल. टी. 441;** दिनेश कुमार गुप्ता बनाम् यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड **(2010) 12 एससीसी 770: [2010] 13 एससीआर 599;** नियाज़ मोहम्मद बनाम् हरियाणा राज्य **(1994) 6 एससीसी 332: [1994] 3 पूरक एस. सी. आर. 720;** बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम् सद्रुद्दीन हसन दया और अन्य **(2004) 1 एससीसी 360: [2003] 6 पूरक एस.सी.आर. 764;**

सुमन चड्ढा और अन्य बनाम् सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

राम नारंग बनाम् रमेश नारंग और अन्य **(2006) 11 एससीसी 114: [2006] 3 एससीआर 1068;** राम नारंग बनाम् रमेश नारंग और अन्य **(2009) 16 एस. सी. सी. 126 [2007] 3 एस. सी. आर. 1099;** बाबू राम गुप्ता बनाम् सुधीर भसीन 10 **(1980) 3 एस. सी. सी 47 [1979] 3 एस. सी. आर. 685-** संदर्भित किया गया है।

<u>कानून संदर्भ</u>

(2008) (3) सीटीसी 669	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 8**
(2009) 163 डीएलटी 441	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 8**
[2010] 13 एससीआर 599	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 9**
[1994] 3 पूरक एससीआर 720	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 9**
[2003] 6 पूरक एससीआर 764	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 10**
[2006] 3 एससीआर 1068	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 10**
[2007] 3 एससीआर 1099	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 10**
[1979] 3 एससीआर 685	**संदर्भित किया गया है**	**पैरा 16**

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 28592

सुमन चड्ढा और ए.एन.आर. ..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ..... प्रतिवादी

वी. रामसुब्रमण्यम, जे.

1. अदालत की अवमानना करने का दोषी पाए जाने पर, याचिकाकर्ताओं, जो क्रमशः पति और पत्नी हैं, को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक को 2000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। उक्त आदेश की पुष्टि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 (हस्ताक्षर के लिए 'अधिनियम' डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित सत्यापित नहीं) के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई है , याचिकाकर्ता उपरोक्तविशेष अवकाश याचिका के साथ आए हैं ।

2. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री संतोष कुमार और प्रतिवादी बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनुज जैन को सुना ।

3. जिन पृष्ठभूमि तथ्यों के कारण याचिकाकर्ताओं को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया गया, वे विद्वान न्यायाधीश के दिनांक 18.07.2017 के आदेश में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं, जो इस प्रकार हैं:

(i) याचिकाकर्ता पारुल पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के निदेशक थे, जिसने प्रतिवादी बैंक से ऋण/क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त की थीं। याचिकाकर्ताओं ने ऋण के पुनर्भुगतान की गारंटी दी और सुरक्षा के रूप में अचल संपत्तियों की भी पेशकश की थी।

(ii) 24 जुलाई 2014 को, पुनर्भुगतान में चूक के कारण उत्तरदाताओं के ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 18 अगस्त 2014 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत रुपये 28,82,25,942.24 तथा ब्याज की वसूली के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद दो संपत्तियों के संबंध में धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा नोटिस जारी किया गया।

(iii) इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने सरफेसी अधिनियम की धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण III, नई दिल्ली (संक्षेप में 'DRTIII') के समक्ष SA नंबर

367/2014 दायर किया। हालाँकि, DRTIII ने उपरोक्त संपत्तियों के भौतिक कब्जे के खिलाफ कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।

(iv) याचिकाकर्ताओं ने अपील दायर की लेकिनधारा 13(2) के तहत नोटिस में मांगी गई राशि का 25% 7 करोड़ रुपये जमा नहीं कर सके। अंततः 31.03.2015 को अपील वापस लेने के आधार पर खारिज कर दी गई।

(v) हालाँकि, 01 अप्रैल, 2015 को, याचिकाकर्ताओं ने एसए नंबर 367/2014 में DRTIII, नई दिल्ली से स्थगन का एक सशर्त आदेश प्राप्त किया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को तीस दिन के अंदर 5 करोड़ रुपये की राशि जमा करने की आवश्यकता थी। आदेश में यह भी निर्धारित किया गया कि 3 अप्रैल 2015 तक 2 करोड़ रुपए जमा कर दिए जाएंगे।

(vi) 03 अप्रैल, 2015 को याचिकाकर्ताओं ने SHO, पुलिस स्टेशन काटजू मार्ग, रोहिणी, दिल्ली को एक पत्र दिया जिसमें चार चेक के जरिए 2 करोड़ रु.रुपये की राशि जमा करने का इरादा दिखाया गया। इसलिए, रिसीवर संपत्तियों पर कब्ज़ा करने में असमर्थ था।

(vii) इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने 01 अप्रैल, 2015 को DRTIII द्वारा पारित रोक के सशर्त आदेश को WP(C)No.3406/2015 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि बैंक और DRTIII उनके चेक जो कुल मिलाकर रु. 2 करोड़. के थे, को सवीकार नही करके गलत और अन्यायपूर्ण तरीके से काम कर रहे थे।

(viii) जब रिट याचिका 8 अप्रैल, 2015 को, प्रवेश और अंतरिम आदेशों के लिए आई, तो याचिकाकर्ताओं ने दायित्व स्वीकार किया और शपथ के तहत एक बयान के माध्यम से नोटिस राशि का 25% 7 करोड़, रुपये तीन किश्तों में 30 जून, 2015 को या उससे पहले जमा करने की पेशकश की। बैंक ने अपनी सहमति दी और उसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के कब्जे को याचिकाकर्ताओं द्वारा रु. 30 जून, 2015 को या उससे पहले 7 करोड़ रुपये, यानी रु. 30 अप्रैल 2015 को 2 करोड़ रु.

31 मई, 2015 और 30 जून, 2015 को प्रत्येक को 2.5 करोड़ जमा करने के अधीन परेशान नहीं किया जाएगा। ।

(ix) 29 अप्रैल, 2015 को, कथित तौर पर दिनांक 08 अप्रैल, 2015 के आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 06 मई, 2015 को चार चेक, प्रत्येक 50 लाख रु. रुपये के साथ एक पत्र दिया।

(x) तदनुसार, 30 अप्रैल, 2015 के लिए निर्धारित एक संपत्ति के कब्जे की कार्यवाही को बैंक द्वारा स्थगित कर दिया गया । लेकिन 08 मई 2015 को चारों चेक बाउंस हो गये।

4. इसलिए, प्रतिवादी बैंक ने याचिकाकर्ताओं को उनके दिनांक 08.04.2015 के वचनपत्र के जानबूझकर उल्लंघन के लिए दंडित करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 12 के तहत एक याचिका दायर की। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अवमानना याचिका का विरोध किया कि सशर्त स्थगन आदेश को सुरक्षित करने की दृष्टि से किए गए किसी उपक्रम का उल्लंघन अवमानना के समान नहीं हो सकता है, खासकर जब ऐसे उपक्रम के उल्लंघन के परिणामों को स्वयं न्यायालय के आदेश में वर्णित किया गया हो। विद्वान न्यायाधीश सेआश्वस्त नहीं थे इसलिए, दिनांक 18.07.2017 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी ठहराया और प्रत्येक को 2000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। डिवीजन बेंच ने उक्त आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता हमारे सामने आ गये ।

5. आगे बढ़ने से पहले हम कुछ घटनाक्रमों को रिकॉर्ड करना चाहेगे, जो एकल न्यायाधीश के दिनांक 18.07.2017 के आदेश के बाद हुए हैं। वे इस प्रकार हैं:

(i) विद्वान न्यायाधीश ने स्वयं 26.07.2017 तक कारावास की सजा को निलंबित कर दिया, ताकि याचिकाकर्ता इंट्राकोर्ट अपील दायर कर सकें;

(ii) याचिकाकर्ताओं ने एक इंट्राकोर्ट अपील दायर की, जो 25.07.2017 को डिवीजन बेंच के सामने आई। डिवीजन बेंच चाहती थी कि सजा निलंबित करने से पहले याचिकाकर्ता कम से कम अपने वचन का एक हिस्सा पूरा करें। लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा नहीं कर सके. इसलिए, डिवीजन बेंच ने 25.07.2017 को सजा का निलंबन नहीं दिया;

(iii) याचिकाकर्ताओं ने आत्मसमर्पण से छूट के लिए एक आवेदन के साथ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। लेकिन उक्त आवेदन को एक चैंबर आदेश के द्वारा दिनांक 31.07.2017 को खारिज कर दिया गया;

(iv) 03.08.2017 को, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सजा के निलंबन की मांग करने वाले विविध आवेदन को खारिज कर दिया;

(v) दिनांक 03.08.2017 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने आत्मसमर्पण से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन के साथ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। इस आवेदन को एक चैंबर आदेश के द्वारा दिनांक 18.08.2017 को खारिज कर दिया गया।

(vi) समय विस्तार की मांग करने वाले एक बाद के आवेदन पर, इस न्यायालय ने दिनांक 11.09.2017 के आदेश के माध्यम से तीन सप्ताह का समय दिया;

(vii) अंततः, याचिकाकर्ताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और 06.11.2017 को उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 11 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद, याचिकाकर्ताओं को आदेश दिनांक 16.11.2017 द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया;

(viii) इसके बाद अवमानना अपील को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने दिनांक 27.09.2018 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 10 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, 01.11.2018 को, इस न्यायालय ने वर्तमान एसएलपी में नोटिस का आदेश दिया और विवादित आदेश पर रोक भी लगा दी।

6. विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद हमने कुछ घटनाओं को नोट किया है, इसका कारण यह है कि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही तीन महीने के साधारण कारावास की सजा में से 11 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास की सजा काट ली है, और उन्होंने जुर्माना भी भर दिया है ।

7. आक्षेपित आदेश पर याचिकाकर्ताओं के हमले का मुख्य आधार, जैसा कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संतोष कुमार ने व्यक्त किया है, ये हैं: (i) कि एक पक्ष द्वारा किसी वचन का पालन करने में विफलता, के आधार पर जिस पर स्थगन का सशर्त आदेश दिया गया था, उसे अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान की जानबूझकर अवज्ञा के रूप में नहीं माना जा सकता है; (ii) कि याचिकाकर्ताओं द्वारा वचन का सम्मान करने में विफलता को न्याय के उचित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में नहीं लिया जा सकता है और इसलिए, मामला अधिनियम की धारा 13 (ए) के तहत आएगा; (iii) जब कोई आदेश किसी शर्त का पालन करने या उपक्रम का सम्मान करने में किसी पक्ष की विफलता के परिणामों को इंगित करता है, तो अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान उचित नहीं हो सकता है; और (iv) किसी भी मामले में यदि चूककर्ता पक्ष ने आदेश की व्याख्या पर भरोसा किया है कि विफलता के परिणाम पहले से ही आदेश में अंतर्निहित हैं, तो आदेश की ऐसी समझ को उचित और तर्कसंगत माना जाएगा और उसे ऐसा अवमानना का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. अपने पहले तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भरोसा करते हैं। वे हैं: (ए) नारायण सिंह बनाम लाला राजेंद्र लाल और अन्य; (बी) इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम ललित कुमार अग्रवाल एवं अन्य ; (सी) के. सरवनकुमार बनाम शीला और अन्य ; और (डी) राष्ट्रीय कृषि निगम। मार्केटिंग बनाम रिलायंस पॉलीक्रीट लिमिटेड,

9. अपने तीसरे तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं । इसके अलावा, विद्वान वकील ने यह भी

प्रस्तुत किया कि नियाज मोहम्मद बनाम हरियाणा राज्य में इस न्यायालय के फैसले के आलोक में , अवज्ञा जानबूझकर की जानी चाहिए, जो अवमानना के समान हो।

10. उपरोक्त के जवाब में, प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अनुज जैन ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के पास अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के कई अवसर थे, लेकिन उन्होंने बार-बार टालमटोल की रणनीति अपनाई। डीआरटी और मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सहित अन्य मंचों के समक्ष कार्यवाही और हमें यह समझाने की कोशिश की गई कि याचिकाकर्ताओं का आचरण धोखे में से एक रहा है और ऐसे व्यक्ति किसी भी उदारता के पात्र नहीं हैं। विद्वान वकील ने हमारा धयान निर्णयों (i) बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सदरुद्दीन हसन दया और अन्य 7; की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना ; (ii) राम नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्य 8 और (iii) राम नारंग(5) बनाम रमेश नारंग और अन्य में पारित आदेशों के बारे की तरफ आकर्षित किया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रवर्तन के अन्य तरीकों की उपलब्धता से न्यायालय को अपने अवमानना क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से रोकना नहीं चाहिए और कि किसी न्यायालय को दिए गए गंभीर वचन का पालन करने में जानबूझकर की गई विफलता पर न्यायालयों द्वारा हमेशा नाराजगी व्यक्त की गई है।

11. हमने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

12. प्रतिद्वंद्वी दलीलों का विश्लेषण करने से पहले, याचिकाकर्ताओं द्वारा 08.04.2015 को दिए गए वास्तविक उपक्रम को देखना उपयोगी होगा, जिसके कारण अवमानना कार्यवाही हुई। पहले याचिकाकर्ता द्वारा 08.04.2015 को दिया गया वचन इस प्रकार है:

"श्री सुमन चड्ढा पुत्र जंगी लाल चड्ढा निवासी एच 3/50 सेक्टर 18, रोहिणी, दिल्ली का बयान:

मैं इस मामले में याचिकाकर्ता और तीसरे याचिकाकर्ता का निदेशक हूं । मैं उसकी ओर से बयान देने के लिए विधिवत अधिकृत हूं। मैंने याचिका के समर्थन में एक हलफनामा भी दायर किया है और अपने वकील से सलाह ली है जो अदालत में मेरे साथ मौजूद है

"मैं इसके द्वारा बताता हूं और पुष्टि करता हूं कि 18.8.2014 को 28,82,25,942.24 रुपये (अट्ठाईस करोड़ दो लाख पच्चीस हजार नौ सौ बयालीस और पैसे चौबीस केवल) की राशि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार प्रतिवादी यानी बैंक ऑफ इंडिया को देय है। मेरा अनुरोध है कि मांग को देखते हुए मुझे ऋण देनदारी के पुनर्भुगतान के संबंध में कुछ मोहलत से राहत दी जाए। मैं स्वयं और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से 30.6.2015 को या उससे पहले प्रतिवादी-बैंक के पास 7 (सात) करोड़ रुपये की कुल राशि जमा करने के लिए सहमत हूं। उक्त राशि मे से 2(दो) करोड़ का भुगतान 30.04.2015 को या उससे पहले किया जाएगा; शेष राशि का भुगतान समान किश्तों में अर्थात 2.5 (ढाई) करोड़ रुपये 31.5.2015 और 30.06.2015 को या उससे पहले किया जाएगा।

मैं इस बात से भी सहमत हूं और पुष्टि करता हूं कि डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, बैंक ऐसी कोई भी कार्यवाही शुरू करने और उपलब्ध कानूनी उपायों का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।"

13. पहले याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उपरोक्त वचनपत्र के साथ दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया शपथ पत्र भी था। उक्त हलफनामे में, दूसरे याचिकाकर्ता द्वारा यह कहा गया था कि उसके पति ने अदालत के समक्ष एक बयान दिया था जिसे उसने उससे समझा था और वह और उसका पति उसका पालन करने का वचन देते हैं।

14. 08.04.2015 को पूर्वोक्त रूप से दायर उपक्रम के आधार पर, उच्च न्यायालय ने उसी दिन, अर्थात् 08.04.2015 को WP (C) संख्या 3406/2015 में एक आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2015 के उक्त आदेश के पैराग्राफ 6 से 8 इस प्रकार हैं:

"6.पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन प्रश्न में संपत्ति पर याचिकाकर्ताओं के कब्जे को परेशान नहीं किया जाएगा:

(1) याचिकाकर्ताओं द्वारा 30.04.2015 को या उससे पहले प्रतिवादी बैंक के पास 2 करोड़ रुपये की राशि जमा करे और उसके बाद 31.05.2015 और 30.06.2015 को या उससे पहले 2.5 - 2.5 करोड़ रुपये जमा करे।

(2) दूसरा याचिकाकर्ता उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन करने के लिए एक हलफनामा/वचन पत्र दाखिल करेगा।

(3) डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, प्रतिवादी बैंक मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सीएमएम) द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के अनुवर्ती आदेश में आगे की कार्रवाई को लागू करने सहित कानून का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र होगा। इस बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीएमएम द्वारा पारित इस आशय के आदेश को 30.6.2015 तक स्थगित रखा जाएगा।

7. याचिकाकर्ताओं के वकील का अनुरोध है कि उपरोक्त आदेश के अनुपालन के बाद, खाते के पुनर्गठन सहित बैंक को राहत के लिए किसी भी आवेदन पर उचित विचार किया जा सकता है। बैंक अपनी लागू नीति को ध्यान में रखते हुए उसके गुण-दोष के आधार पर ऐसे आवेदन पर विचार करेगा यदि । यह किसी भी तरह से देय राशि की वसूली के लिए बैंक के अधिकारों को बाधित नहीं करेगा।

8. याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक हलफनामा/शपथ पत्र दाखिल करने के अधीन, जिसकी प्रति आज से एक सप्ताह के भीतर प्रतिवादी के वकील को प्रदान की जाएगी, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

15. उच्च न्यायालय के दिनांक 08.04.2015 के आदेश के अंश से ज्ञात होता है कि यह किसी शपथ पत्र/अंडरटेकिंग के आधार पर पारित आदेश नहीं था। यह याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई पेशकश के आधार पर था, जिनमें से पहला वास्तव में अदालत में मौजूद था। इस प्रकार दिया गया प्रस्ताव बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इसलिए आदेश वास्तव में पार्टियों की सहमति पर आधारित था। यह न्यायालय द्वारा अपने

दिनांक 08.04.2015 के आदेश के पैराग्राफ 5 में दर्ज की गई बातों से स्पष्ट हो जाता है। अनुच्छेद 5 इस प्रकार है:

"5. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील डॉ. शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता दायित्व स्वीकार कर रहे हैं, बशर्ते मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिए कुछ समय दिया जाए। वकील द्वारा यह सुझाव दिया गया कि 30.06.2015 को या उससे पहले तीन किश्तों में 7 (सात) करोड़ यानी नोटिस राशि का 25%, याचिकाकर्ताओं को जमा करने का अवसर दिया जा सकता है।। पहला याचिकाकर्ता कोर्ट में मौजूद है. वह तीसरे याचिकाकर्ता के निदेशक हैं और उसकी ओर से गवाही देने के लिए अधिकृत हैं। उपरोक्त आशय का उनका बयान शपथ के तहत अलग से दर्ज किया गया है और रिकॉर्ड पर रखा गया है। दूसरे याचिकाकर्ता को पहले याचिकाकर्ता के बयान की पुष्टि करते हुए एक सप्ताह के भीतर हलफनामा/शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तावित शर्तों पर रिट याचिका के निपटान के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की।

16. यह सच है कि इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में यह माना है कि न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत न्यायालय की अवमानना है। लेकिन न्यायालय ने हमेशा (i) किए गए उपक्रम की प्रकृति को देखा है; (ii) वचन देने वाले पक्ष द्वारा प्राप्त लाभ, यदि कोई हो; और (iii) क्या अंडरटेकिंग दाखिल करना अदालत के साथ धोखाधड़ी करने या विपरीत पक्ष की आंखों में धूल झोंकने के इरादे से किया गया था। सहमति शर्तों पर पारित आदेश और केवल अदालत को दिए गए वचन के आधार पर पारित आदेश के बीच अंतर और अदालत में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर, जिससे न्याय के पाठ्यक्रम में बाधा उत्पन्न होती है और एक पक्ष में धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के बीच अंतर , इस न्यायालय द्वारा

बाबू राम गुप्ता बनाम सुधीर भसीन 10 में निम्नलिखित 10 (1980) 3 एससीसी 47 शब्दों में सामने लाया गया था

: "...वास्तव में, अगर हम मानते हैं कि समझौता डिक्री या सहमति आदेश का अनुपालन न करना न्यायालय के अवमानना के बराबर है, डिक्री के निष्पादन से संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का बिल्कुल भी सहारा नहीं लिया जा सकता है। वास्तव में, अदालत को दिए गए स्पष्ट वचन का उल्लंघन अदालत की अवमानना है। इसका कारण यह है कि अदालत में गलत प्रतिनिधित्व करके अवमाननाकर्ता खुद के लिए लाभ प्राप्त करता है और यदि वह वचन का सम्मान करने में विफल रहता है, तो वह एक गंभीर भूमिका निभाता है न्यायालय के साथ धोखाधड़ी और इस तरह न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और न्यायिक संस्था की बदनामी होती है। हालाँकि, सहमति आदेश या समझौता डिक्री के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जहां धोखाधड़ी, यदि कोई हो, संबंधित व्यक्ति द्वारा अदालत में नहीं बल्कि किसी एक पक्ष द्वारा की जाती है। इस प्रकार, संबंधित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध पक्ष के लिए है न कि अदालत के लिए, और इसलिए, ऐसे मामलों में अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही की नींव पूरी तरह से अनुपस्थित है।

17. लेकिन बाबू राम गुप्ता (सुप्रा) में निर्णय को स्पष्ट किया गया था और राम नारंग बनाम रमेश नारंग और अन्य 11 में इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ द्वारा आंशिक रूप से आज्ञाकारी माना गया था । राम नारंग (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 2 (बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों की दो श्रेणियों के बीच अंतर बताया, अर्थात् (i) अदालत की प्रक्रिया के प्रति जानबूझकर अवज्ञा; और (ii) अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन।

18. वास्तव में, राम नारंग (सुप्रा) में, यह न्यायालय इस हद तक चला गया कि सहमति डिक्री की शर्तों का जानबूझकर उल्लंघन और न्यायनिर्णयन पर पारित डिक्री का जानबूझकर उल्लंघन के बीच कोई अंतर निकालना न तो क़ानून, न्यायिक प्राधिकरण,

सिद्धांत या तर्क के अनुरूप होगा।। हमारा अपना संदेह है कि क्या धारा 2(बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों की पहली श्रेणी को इतना लंबा खींचा जा सकता है। वैसे भी, इस मामले में यह सवाल नहीं उठता है और इसलिए हम इसे वहीं छोड़ देते हैं।

19. लेकिन इस मामले में जो हुआ वह यह है कि दिनांक 08.04.2015 के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं के आचरण से संतुलन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ झुका हुआ प्रतीत होता है। कथित तौर पर 08.04.2015 को न्यायालय को दिए गए वचन और उस पर पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ताओं ने 50-50 लाख रुपये के चार चेक जारी किए। ये चेक एक कवरिंग लेटर के साथ 29.04.2015 को बैंक को सौंपे गए थे। लेकिन सभी चार चेक पोस्टडेटेड थे, जिन पर तारीख 06.05.2015 अंकित थी, जबकि कोर्ट को 30.04.2015 या उससे पहले राशि जमा करने का वचन दिया गया था।

20. दिनांक 08.05.2015 को चारों चेक बाउंस हो गये। पहले पोस्टडेटेड चेक जारी करने और फिर उन्हें अनादरित होने देने में याचिकाकर्ताओं के आचरण ने याचिकाकर्ताओं को खराब छवि में दिखाया। याचिकाकर्ता कम से कम उसके बाद अपना तरीका सुधार सकते थे। हालाँकि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

21. दिनांक 14.07.2015 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने अवमानना याचिका में नोटिस जारी करने का आदेश दिया । नोटिस को 05.11.2015 तक वापस करने योग्य बनाया गया था और याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। लेकिन 05.11.2015 को जो हुआ, जैसा कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा रिकॉर्ड पर लाया गया है, इस प्रकार है: "जब मामला पहली बार उठाया गया था, तो इस अदालत को सूचित किया गया था कि कोई भी प्रतिवादी स्टेशन पर नहीं था और यहां तक कि सम्मन भी उनकी पुत्री को प्राप्त हुआ था ।

हालाँकि, फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि नोटिस/समन प्रतिवादी नंबर 1 को व्यक्तिगत रूप से और प्रतिवादी नंबर 2 के पति को दस्ती के साथ-साथ स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त हुए थे।

यद्यपि यह न्यायालय, उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विरुद्ध वारंट जारी करने के लिए इच्छुक था, फिर भी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का कहना है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि सुनवाई की अगली तारीख पर न केवल उत्तरदाता व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हों, बल्कि मामला सौहार्दपूर्ण हो। समाधान हो गया, मामला 16 नवंबर, 2015 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।"

22. सुनवाई की अगली तारीख पर, याचिकाकर्ताओं ने बचाव किया कि उन्होंने अपने देनदारों से देय राशि प्राप्त करने की आशा में पोस्टडेटेड चेक जारी किए थे और उनके देनदार भुगतान करने में विफल रहे। याचिकाकर्ताओं ने तीन देनदारों के नाम भी बताए जिनसे उन्हें धन मिलने की उम्मीद थी।

23. याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए दावे की वास्तविकता पर संदेह करते हुए, विद्वान न्यायाधीश, जिनके समक्ष अवमानना याचिका आई थी, ने 07.12.2015 को एक आदेश पारित किया जिसमें गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (संक्षेप में 'एसएफआईओ') द्वारा जांच का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं के दुर्भाग्य के लिए, एसएफआईओ ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की कि याचिकाकर्ताओं के कथित देनदार पारुल पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड की केवल शेल संस्थाएं हैं, जिनमें से याचिकाकर्ता निदेशक थे।

24. 08.04.2015 के बाद हुई उपरोक्त सभी घटनाओं ने उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आश्वस्त किया कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तव में न्यायालय के साथ धोखाधड़ी की है। यही कारण है कि उच्च न्यायालय की विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया।

25. यह सच है कि किसी पार्टी द्वारा दिए गए वचन को उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए जिसमें यह किया गया था और (i) वचन देने वाली पार्टी को इससे होने वाले लाभ; और (ii) प्रतिपक्षी को हुई क्षति/चोट। यह भी सच है कि आम तौर पर यह सवाल कि क्या कोई पक्ष अवमानना का दोषी है, अवज्ञा और उसकी जानबूझकर की गई प्रकृति के

विशिष्ट संदर्भ में देखा जाना चाहिए, न कि उसके बाद के आचरण के आधार पर। हालाँकि अदालत यह देखने के लिए स्वतंत्र है कि क्या कथित अवमाननाकर्ता का बाद का आचरण पहले से की गई अवमानना को बढ़ाने के समान होगा, लेकिन अवमानना के कृत्य का निर्धारण केवल उसके बाद के आचरण पर आधारित नहीं हो सकता है।

26. लेकिन पक्षकार का बाद का आचरण एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाल सकता है कि क्या यह प्रतिबद्धता का सम्मान करने में पक्षकार की अक्षमता थी या यह अदालत को धोखा देने के एक बड़े डिजाइन का हिस्सा था।

27. इस मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कृत्यों की श्रृंखला (i) पोस्टडेटेड चेक जारी करने में, जो उस तारीख से आगे की तारीख वाले थे जिसके भीतर वे भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे; (ii) उन चेकों को अनादरित होने की अनुमति देने में; (iii) सुनवाई की पहली तारीख पर ऐसे बहाने के साथ न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होना जो झूठा पाया गया; (iv) अपने स्वयं के देनदारों द्वारा चूक करने के बारे में स्पष्टीकरण देने में; और (v) एसएफआईओ की रिपोर्ट के माध्यम से उजागर होने पर, उच्च न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा 08.04.2015 को दिया गया वचनपत्र सद्भावना पर आधारित नहीं था, बल्कि न्यायालय को धोखा देने का इरादा था। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी ठहराने में गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं।

28. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संतोष कुमार की पहली दलील कि सशर्त स्थगन आदेश हासिल करते समय की गई प्रतिबद्धता का सम्मान करने में विफलता को जानबूझकर अवज्ञा नहीं माना जा सकता है, इसे हमारे द्वारा स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन इस तथ्य के लिए याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर वचन के अनुपालन में पोस्टडेटेड चेक जारी किए, लेकिन उन्हें अनादरित होने दिया। चेक के अनादर के लिए बनाई गई कहानी झूठी पाई गई है, याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क लेना संभव नहीं है कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई थी।

29. 08.04.2015 के बाद जो हुआ था, उसके आलोक में अधिनियम की धारा 13 (ए) की भाषा पर आधारित दूसरा तर्क भी हमें पसंद नहीं आया, तथ्य यह है कि दिनांक 08.04.2015 के आदेश में कुछ अन्य परिणामों का भी संकेत दिया गया है, जो न्यायालय के अवमानना क्षेत्राधिकार को नहीं छीन सकता है। उपयुक्त मामलों में जहां एक पक्ष ने वचन देते समय सद्भावना से काम किया था, लेकिन उचित और वास्तविक कारणों के कारण वचन का सम्मान नहीं कर सका, न्यायालय निश्चित रूप से अपनी छड़ी को इस्तेमाल होने से रोक सकता है। लेकिन इस मामले में इस आशय के तथ्य सामने आए हैं कि याचिकाकर्ताओं ने वास्तविक कार्य नहीं किया। इसलिए, तीसरी दलील भी टिकाऊ नहीं है।

30. अंतिम तर्क यह है कि यदि दिनांक 08.04.2015 का आदेश एक से अधिक तरीकों से व्याख्या और समझने में सक्षम है, तो उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों के बारे में पक्षकार को उक्त आदेश को एक विशेष तरीके से कानून के शुद्ध और सरल प्रस्ताव के लाभ के रूप में बिल्कुल सही समझने और व्याख्या करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में, याचिकाकर्ताओं ने जो कुछ भी किया है उसे छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के इस तर्क पर कि अवज्ञा, यदि कोई हो, जानबूझकर और जानबूझकर नहीं की गई थी, कम कहा गया ही बेहतर होगा।

31. उपरोक्त के आलोक में, हमारा स्पष्ट मानना है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता अवमानना के दोषी हैं, अनुच्छेद 136 के तहत हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

32. हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री संतोष कुमार ने दलील दी कि अदालत याचिकाकर्ताओं पर सहानुभूति दिखा सकती है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं ने डीआरटी और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर जिन अचल

संपत्तियों को बचाने का प्रयास किया है , पहले ही बेचे जा चुके हैं। गिरवी संपत्तियों को बचाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा 2015 के बाद से किए गए सभी प्रयास व्यर्थ रहे हैं।

33. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि गिरवी रखी गई संपत्तियां अब बेची जा चुकी हैं और असाधारण प्रयासों से बैंक ने कब्जा भी ले लिया है। याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई तीन महीने की कारावास की कुल अवधि में से 11 दिन हिरासत में भी बिताए हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं के लिए यह पर्याप्त सजा है।

34. इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच के इस निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए एसएलपी का निपटारा किया जाता है कि याचिकाकर्ता अदालत की अवमानना के दोषी हैं, लेकिन सजा की अवधि को तीन महीने से घटाकर याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले से ही भुगता गया कारावास की अवधि तक किया जाता है । लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

35. यदि कोई लंबित आवेदन (आवेदन) हैं तो उनका भी निपटारा किया गया ।

विशेष अनुमति याचिका निष्पादित

(पीयूष श्रीवास्तव)